फर्द अहकाम

रामकिशोर बनाम छाजूराम वगै0

प्रार्थना पत्र संख्याः 57/2022

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	07.02.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 रिश्तें में पुत्र–पिता है और अप्रार्थी संख्या 4 प्रार्थी का भाई है जबकि अप्रार्थीया संख्या 2 व 3 प्रार्थी के अन्य भाइयों की पत्नियां है। ग्राम कॉट तहसील आमेर, जिला जयपुर में प्रार्थी के दादा स्व० उदाराम मीणा पुत्र श्री पाँचूराम मीणा की खातेदारी व कब्जे काश्त में जो कृषि भूमियां रही थी, जिसके खसरा नम्बर 715 रकबा 0.77 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 803 रकबा 0.35 किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 983 रकबा 0.07 चाही प्रथम, खसरा नम्बर 984 रकबा 0.08 चाही प्रथम, खसरा नम्बर 985 रकबा 0.02 चाही प्रथम, खसरा नम्बर 997 रकबा 0.08 किस्म चाही प्रथम, खसरा 996/1432 रकबा 0.05 किस्म चाही उत्तम, खसरा नम्बर 998/1433, रकबा 0.02 जाव प्रथम, खसरा नम्बर 998/1532 रकबा 0.06 बारानी ए, कुल 9 खेत/खसरे कुल क्षेत्रफल 1.50 रहें। इसके पश्चात उदाराम की मृत्यु पर उसके पुत्र छाजुराम, नाथुराम तथा पुत्रियो धन्नी व प्रभाती के नाम नामांतकरण खुला और पुत्रियो के द्वारा हकत्याग करने पर उपरोक्त खसरा नम्बर उदाराम के 2 पुत्र छाजुराम व नाथुराम के हिस्से में आये जो तत्पश्चात पूर्व उल्लेखित खसरा नम्बर मे से कुछ खसरा नम्बरो के खसरा नम्बर परिवर्तित हुए नाथुराम के हिस्से मे खसरा नम्बर 715 रकबा 0.39 किस्म बारानी 3, खसरा नम्बर 803 रकबा 0.17 चाही 2, खसरा नम्बर 983 रकबा 0.07 चाही–1, खसरा नम्बर 795/1 रकबा 0.08 जाव–2, 796/1 रकबा 0.08 बारानी–2, खसरा नम्बर 978 रकबा 0.07 जाव–1, 0.15 चाही–1, कुल खसरा 6, कुल क्षेत्रफल 0.9400 आये थे तथा उदाराम पुत्र पॉचुराम, की पूर्व उल्लेखित भुमि मे से शेष रही भुमि मे खसरा नम्बर 715/1 रकबा 0.38 हैक्टेयर किस्म बारानी–3, खसरा नम्बर 795 रकबा 0. 09 हैक्टेयर किस्म जाव, खसरा नम्बर 796 रकबा 0.08 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा नम्बर 803/1 रकबा 0.18 हैक्टेयर किस्म चाही –2, खसरा नम्बर 984 रकबा 0.08 किस्म चाही–1, खसरा नम्बर 997 रकबा 0.08 हैक्टेयर किस्म चाही खसरा नम्बर 998/1532 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म बारानी–ए कुल किता–7 कुल रकबा 0.95 हैक्टेय भूमि ग्राम कॉट पटवार हल्का कॉट, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिलौची तहसील आमेर के अन्तर्गत स्थित है। यह कृषि भूमियां स्व० उदाराम के खातेदारी की होने के कारण प्रार्थी की पैतृक संपति होने से प्रार्थी का उसके जन्म से ही हक हिस्सा व अधिकार है। अप्रार्थी सं 1 को इन कृषि भूमियों को अपनी स्वयं की एकल हक अधिकार व स्वामित्व की मानकर किसी भी तरह का अन्तरण, बेचान, गिफट, बख्शीश कर किसी भी अन्य को देने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। पैतृक सम्पतियां होने व संयुक्त परिवार का सदस्य होने के कारण प्रार्थी का इन उपर वर्णित कृषि भूमियों में हक हिस्सा व खातेदारी अधिकार निहित है। इसी प्रकार परिवार के अन्य सदस्यों के समान व उनके साथ प्रार्थी का कानूनी व भौतिकं कब्जा भी इन कृषि भूमियों पर [illegible] कानूनी व साम्पतिक क्षति पहुचाने के दुराशय से अप्रार्थीगण संख्या [illegible] 4 [illegible] अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पतियो से जिनके नाम [illegible] षडयंत्र रच कर स्व. उदाराम जी की सम्पति [illegible] को, [illegible] दस्तावेज, काश्त मे शुन्य प्रभावी दस्तावेज जो कि तीन [illegible] गिफ्ट डीड है अप्रार्थीगण संख्या 2, 3 व 4 के पक्ष मे उनके नाम से बनवा कर दिया। दिन [illegible] 07.06.2022 को कार्यालय उप पंजीयक, आमेर, मे पंजीकृत करा दिये। यह तीन दानपत्र (गिफ्टडीड) के दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थीयाँ संख्या 2 श्रीमती फूलीदेवी के पक्ष मे कुल क्षेत्रफल का 1/2 (आधा) हिस्सा अर्थात 0.95 हैक्टेयर क्षेत्रफल का आधा हिस्सा बिना बॅटा हुआ और बिना खसरा नम्बर बताए, गिफ्ट कर दिया जबकि इस क्षेत्रफल के शेष बचे आधे हिस्सें में से अप्रार्थी 3 व 4 को समान भांग यानी कुल क्षेत्रफल का 1/4 भाग व 1/4 भाग गिफ्ट कर दिये। यह तीनो ही दानपत्र (गिफ्टडीड) कर दिये। यह तीनो ही दानपत्र (गिफ्ट डीड) प्रार्थी के अधिकारो के प्रति प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.20 14:56:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible] टैक) आमेर
[illegible] जयपुर

फर्द अहकाम

रामकिशोर बनाम छाजूराम वगै0

प्रार्थना पत्र संख्याः 57/2022

है तथा प्रार्थी के अधिकारो के सापेक्ष इन तीनो ही दानपत्रो का कोई अस्तित्व नही है। यह तीनो ही गिफ्ट डीड प्रार्थी के अधिकारो के प्रति अवैध है व रद्दी कागज से अधिक इनकी कोई कानूनी वैल्यु नही है। इन तीनो ही गिफ्ट डीड से प्रार्थी के अधिकार ना ही समाप्त होते है और ना ही कानूनी रूप से प्रभावित होते है तथा इन तीनो गिफ्ट डीड से अप्रार्थीगण संख्या 2, 3 व 4 को कोई भी अधिकारी ना तो सृजित होते है और उनमे वेष्ट करते है। प्रार्थी के पिता छाजुराम मीणा ने अनाधिकार, विधि विरुद्ध, कानून में शुन्य व प्रार्थी के अधिकारो के प्रति शुन्य प्रभावी जो गिफ्ट डीड (उपहार पत्र) अप्रार्थीगण संख्या 2, 3 व 4 के नाम से प्रार्थी की पैतृक सम्पतियो के दि. 07.06.2022 कराए है उनके आधार पर इन उपहार प्राप्तकर्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम से नामांतरण भी दिनांक 22.7.2022 व दिनांक 27.06.2022 को खोले गए है, जिस कारण इन अप्रार्थीगण का नाम राजस्व जमाबंदियो मे भी आ गया है। चूंकि प्रार्थी की यह वादित भूमियाँ पैतृक प्रकृति की है जिनमे प्रार्थी का एक निश्चित हक, हिस्सा, शेष परिवारजन व वारिसान स्व. उदाराम के अनुरूप है इस कारण प्रार्थी को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय से राजस्व अभिलेख की शुद्धि करवाने की डिकी अप्रार्थीगण संख्या 2, 3 व 4 के खिलाफ प्राप्त करके इन तीनो ही अप्रार्थीगण को नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदियो से हजफ करा दे और अपना नाम मुताबिक उसके अंश व हिस्से के जो कि 1/6 हिस्सा मुताबिक बाकि है कि खातेदारी की प्रविष्टियाँ राजस्व अभिलेखो मे कराने की डिकी प्राप्त करके अपना नाम प्रविष्ट कराले। अप्रार्थी संख्या 4 के नाम नामांतकरण खोले जाने की कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 5 के यहाँ लम्बित है जहाँ प्रार्थी ने लिखित मे दिनांक 8.8.2022 को कर दी थी जो भी लम्बित है। उपहार पत्र (गिफ्टडीड) के आधार पर नामान्तकरण स्वीकार करने का कानूनी अधिकार केवल संबंधित ग्राम पंचायत को ही है जबकि यह तीनो ही नामान्तकरण जानबूझकर प्रार्थी को इनकी जानकारी नही हो इस दुराशय से ग्राम पंचायत मे स्वीकार नही कराए गए और छुपवा तौर पर यह तहसील स्तर पर इन नामान्करणो को स्वीकारी करवाया गया। इन अवैध व क्षेत्राधिकार विहीन स्वीकार किए गए तीनो ही नामान्करणो से अप्रार्थीगण के नाम राजस्व जमाबंदियो मे आ जाने से यह अप्रार्थीगण वाद अन्तर्गत ही कृषि भूमियो का बेचान, गिरवी, दान, उपहार या अन्य प्रकार से अन्तरण कर देने को सक्षम बन गए है। प्रार्थी को कानूनी उपचार लेने मे रोडा अटकाने के दुराशय से इन विवादित भूमियो को आगे भी अंतरित कर देने की योजना मे है तथा सक्रियता से इस दिशा मे कार्य कर रहे है। प्रार्थी को पूरा पूरा अंदेशा व भय है कि अप्रार्थीगण वादित जमीनो को लडाकु, लठैत, बाहुबली व असामाजिक तत्वो के हाथो अंतरित कर सकते है। प्रार्थी ने विवादित कृषि भूमियो को संयुक्त रूप से काश्त की है इस प्रकार कृषि भूमि प्रार्थी व उसकी पत्नी व बच्चो की रोजी रोटी का साधन रहा है। अन्न चारा के उत्पादन से प्रार्थी का परिवार व उसके दुधारू पशु पेट पालते व जीवनयापन करते रहे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

बहस वकील प्रार्थी [illegible] अवलोकन करने पर हमने पाया कि प्रार्थी द्वारा पैतृक संपत्ति [illegible] हिस्सा चाहा है। जिसमें प्रार्थी का हक व अधिकार [illegible] सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित हैं। उक्त [illegible] प्रार्थी के प[illegible] साबित होने से अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के [illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उ[illegible] होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.20 14:56:03 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी अंतिरम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 08.09.2022 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक [illegible] (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर